



महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

दूरभाष: 0151-2970177 ई-मेल: registrar@mgsbikaner.ac.in

प.07 (मगसिविबी/प्रबन्ध बोर्ड-31/2018/

दिनांक

प्रबन्ध बोर्ड की 31 वीं बैठक कार्यवृत्त (Minutes)

प्रबन्ध बोर्ड की 31वीं बैठक दिनांक 25-06-2018 को प्रातः 11:30 बजे महर्षि शौनक भवन
सभागार में आयोजित हुई

जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1	प्रो. भगीरथ सिंह, कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	अध्यक्ष
2	डॉ. गोपाल कृष्ण जोशी माननीय विधायक-बीकानेर पश्चिम	सदस्य
3	डॉ. दिग्विजय सिंह प्रतिनिधि, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राज. सरकार, जयपुर	सदस्य
4	प्रो. राजीव सक्सेना राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य
5	डॉ. सुशील कुमार बिस्सु राज्य सरकार द्वारा मनोनीत शिक्षाविद्	सदस्य
6	डॉ. आर.जी. शर्मा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्राचार्य, निजी महाविद्यालय	सदस्य
7	प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत आचार्य	सदस्य
8	प्रो. अनिल कुमार छंगाणी कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष	सदस्य
9	प्रो. राजाराम चौयल कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत आचार्य	सदस्य
10	प्रो. नारायण सिंह राव कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत संकायाध्यक्ष	सदस्य
11	श्री मनोज कुमार शर्मा, आई.ए.एस. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	सदस्य सचिव

(सुश्री सिद्धि कुमारी- माननीया विधायक बीकानेर पूर्व, अतिरिक्त मुख्य सचिव-वित्त, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, प्रो. लक्ष्मी शर्मा, डॉ. विजय कुमार पंचोली, माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नामित सदस्य बैठक में अनुपस्थित रहे।

कुलपति महोदय द्वारा समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। विशेषकर अति. मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित डॉ. दिग्विजय सिंह, नव-मनोनीत सदस्य प्रो. राजाराम चोयल, प्रो. नारायण सिंह राव, पुनः मनोनीत सदस्य प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल एवं प्रो. अनिल कुमार छंगाणी का स्वागत किया गया।

बैठक से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित गतिविधियों यथा विश्वविद्यालय स्थापना दिवस कार्यक्रम, दावणगेरे विश्वविद्यालय, कर्नाटक के साथ सम्पादित एम.ओ.यू. एवं अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की जानकारी प्रदान करते हुए प्रजेन्टेशन दिया गया।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

मद संख्या	विवरण	अनुभाग/ विभाग
375	दिनांक 30-01-2018 को सम्पन्न हुई 30 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि का प्रस्ताव।	शैक्षणिक
निर्णय	पुष्टि की गई।	
376	दिनांक 12-04-2018 को सम्पन्न हुई विशेष बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि का प्रस्ताव।	शैक्षणिक
निर्णय	पुष्टि की गई।	
377	दिनांक 30-01-2018 को आयोजित 30वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव।	शैक्षणिक
निर्णय	अनुमोदन किया गया। मद संख्या 373(v) अधिष्ठाता- छात्र कल्याण, सहायक निदेशक-शारीरिक शिक्षा एवं सेन्टर्स के डायरेक्टर्स को अधिकतम राशि रु. 1750/- प्रतिमाह में मोबाइल के पुनर्भरण के साथ इन्टरनेट एवं निवास के टेलीफोन व्यय को भी सम्मिलित किया गया।	
378	दिनांक 12-04-2018 को आयोजित विशेष बैठक के कार्यवृत्त पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट (ATR) के अनुमोदन का प्रस्ताव।	शैक्षणिक
निर्णय	अनुमोदन किया गया।	
379	विद्या परिषद की 17 वीं बैठक दिनांक 21-04-2018 के कार्यवृत्त के अनुमोदन का प्रस्ताव।	शैक्षणिक
निर्णय	अनुमोदन किया गया।	
380	01 अप्रैल, 2018 से 30 जून, 2018 तक अनुमोदित अंतरिम बजट (लेखानुदान) की पुष्टि का प्रस्ताव।	लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	
381	वित्त वर्ष 2017-18 के वास्तविक व्यय एवं वित्त वर्ष 2018-19 के बजट अनुमान के अनुमोदन का प्रस्ताव।	लेखा
निर्णय	अनुमोदन किया गया।	

382	वित्तीय वर्ष 2016-17 की अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन का प्रस्ताव।	लेखा
निर्णय	अनुमोदन किया गया।	
383	निदेशक, शोध के पद हेतु योग्यता/अर्हता/अनुभव के निर्धारण का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	संस्थापन
निर्णय	<p>प्रस्तुत मद को वापस लेने का निर्णय लेते हुए निदेशक, शोध पद के लिए पूर्व निर्धारित योग्यता/अर्हताओं में "Outstanding Scholar" and "Actively Engaged" को परिभाषित करते हुए यह निर्धारित किया गया कि अभ्यर्थी द्वारा अकादमिक क्षेत्र में निम्न योगदान वांछित है :-</p> <p>Outstanding Scholar</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) अभ्यर्थी को शोध पर्यवेक्षक के रूप में कम से कम एक अभ्यर्थी को पीएच.डी. कराने का अनुभव प्राप्त हो। (2) अभ्यर्थी के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के Referred Journal में शोध पत्र प्रकाशित हो। (3) अभ्यर्थी को लेखक/सह लेखक/सम्पादक के रूप में पुस्तक लेखन का अनुभव प्राप्त हो। (4) अभ्यर्थी को रिसर्च फेलो का अनुभव प्राप्त हो। (5) अभ्यर्थी को प्रोजेक्ट कार्य का अनुभव प्राप्त हो। (6) अभ्यर्थी ने राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सेमिनार में भाग लिया हो। <p>Actively Engaged</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) अभ्यर्थी का शोध सम्बन्धी लेख लगातार प्रकाशित हो। (2) अभ्यर्थी का शोध पर्यवेक्षक के रूप में कई वर्षों से लगातार कार्य करने का अनुभव प्राप्त हो। 	
384	विभागों में स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त शिक्षकों को कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 11-7-2017 के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	संस्थापन
निर्णय	प्रस्तुत आदेश शैक्षणिक संवर्ग के कार्मिकों पर लागू होने के कारण उक्त आदेश के स्थान पर शैक्षणिक संवर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले आदेश को विश्वविद्यालय में लागू करने की सहमति प्रदान की गई। शैक्षणिक कार्यों के लिए Consultant (सलाहाकार) की सेवाएं लेने हेतु पारिश्रमिक के सम्बन्ध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए।	
385	प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद एवं कुलपति महोदय के स्तर से गठित समिति की बैठक आयोजन पर अल्पाहार व्यवस्था पर होने वाले व्यय का भुगतान करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	सामान्य प्रशासन
निर्णय	कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।	
386	निजी सचिव को राज्य सरकार के समकल अधिकारियों के समान वेतनमान (पे-बेण्ड मय ग्रेड पे) स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	संस्थापन

निर्णय	राज्य सरकार के निर्णय के लिए प्रस्ताव भेजा जावे।	
387	विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों (महाविद्यालयों) द्वारा उनके केंद्र पर आवंटित अन्य महाविद्यालयों से विकास शुल्क पेटे ली जाने वाली राशि के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	परीक्षा
निर्णय	निम्नानुसार समिति गठित की गई जो आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी :- 1. प्रो. राजाराम चोपल 2. डॉ. दिव्यजय सिंह, सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा 3. परीक्षा नियंत्रक	
388	प्रबन्ध बोर्ड सभागार के लिए फर्नीचर क्रय करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	सामान्य प्रशासन
निर्णय	प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष खादी मंदिर एवं गोदरेज से आइटमवार प्राप्त दरों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया। खादी मंदिर की दरें कम होने के कारण खादी मंदिर से फर्नीचर क्रय करने का निर्णय लिया गया। निर्णय के दौरान शैक्षणिक विभागों में छात्रों हेतु क्रय किया जाने वाला फर्नीचर भी खादी मंदिर से क्रय करने का निर्णय लिया गया।	
389	कुलपति महोदय की स्वीकृति से जारी आदेश की पुष्टि का प्रस्ताव।	
	(1) प्रतिवेदित है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F.6(3)FD(Rules)/2017 एवं F.12(8)FD(Rules)/2017 dated 23.03.2018 के अनुसरण में विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि को विश्वविद्यालय में लागू किया गया। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(2) प्रतिवेदित है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F.6(01)FD(Rules)/2008 dated 11.05.2018 के अनुसरण में छठे वेतन धारियों के महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि को विश्वविद्यालय में लागू किया गया। पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	लेखा
निर्णय	पुष्टि की गई।	
	(3) प्रतिवेदित है कि छयन समिति एवं प्रबन्ध बोर्ड सदस्यों को प्रति बैठक राशि रु. 3000/- सीटिंग चार्ज के रूप में भुगतान करने हेतु जारी आदेश क्रमांक 74-78 दिनांक 09-04-2018 पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।	संस्थापन
निर्णय	पुष्टि की गई।	
गत बैठक के शेष मद		
371 (1) (ग)	परीक्षात्मक कार्यों हेतु विश्वविद्यालय कर्मिकों के मानदेय/पारिश्रमिक के निर्धारण के सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। रिपोर्ट बैठक के दौरान प्रस्तुत कर दी जाएगी।	परीक्षा
निर्णय	आगामी बैठक में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गए।	

97

373 (iv)	06 सेवानिवृत्त कार्मिकों के स्थिर पारिश्रमिक के शेष भुगतान करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध बोर्ड द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	संस्थापन
निर्णय	समिति की अनुशंसा को अनुमोदित किया गया।	

पूरक मद


मद संख्या	विवरण	अनुभाग
390	विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगीत में "बीकानेर विश्वविद्यालय" शब्द का उच्चारण होने के कारण संशोधन किया जाना है। कुलसचिव श्री मनोज कुमार शर्मा, आई.ए.एस. द्वारा रचित "कुलगीत" का प्रारूप अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	सामान्य प्रशासन
निर्णय	सदस्य सचिव श्री मनोज कुमार शर्मा, आई.ए.एस. द्वारा लिखित कुलगीत की प्रबन्ध बोर्ड द्वारा प्रशंसा करते हुए नवीन कुलगीत के लिए राज्यपाल सचिवालय से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय में लागू पुराने कुलगीत के साथ भेजा जावे।	
391	राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त "अकादमिक एवं शैक्षणिक कलेण्डर" विश्वविद्यालय में लागू करने के लिए प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।	शैक्षणिक/ संस्थापन
निर्णय	अनुमोदन किया गया।	
392	विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ-साथ "खेल दर्शन" पर एक अनिवार्य विषय को नियमित पाठ्यक्रमों में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	शैक्षणिक
निर्णय	निम्नानुसार समिति गठित की गई :- (1) प्रो. अनिल कुमार छंगाणी, विभागाध्यक्ष-पर्यावरण विज्ञान (2) श्री नेमीचंद, शारीरिक प्रशिक्षक, जी.एच.एस. राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़ (चूरु) (3) डॉ. मशवंत गहलोत, सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा	


टेबल मद

मद संख्या	विवरण	अनुभाग
393	अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की भर्ती हेतु निर्धारित चयन प्रक्रिया परिनियम (स्टेट्यूट्स) के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव।	संस्थापन
निर्णय	अनुमोदन किया गया।	
394	शिक्षकों की नियुक्ति सम्बन्धी न्यूनतम योग्यताओं/अहर्ताओं में "Good Academic Record" निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	संस्थापन
निर्णय	महोदय दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के अनुसार निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।	
395	नवीन गांव गोद लेने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	नोडल अधिकारी

निर्णय	राज्यपाल सचिवालय से प्राप्त गांवों की सूची में से नाल बड़ी गांव गोद लेने का निर्णय लिया गया।	
396	“करे पढ़ाई के साथ कमाई (Earn while Learn)” योजना विश्वविद्यालय में लागू करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	शैक्षणिक
निर्णय	योजना को विश्वविद्यालय में लागू करते हुए प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की गई :- (1) प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल, विभागाध्यक्ष-अंग्रेजी (2) प्रो. अनिल कुमार छंगाणी, विभागाध्यक्ष-पर्यावरण विज्ञान (3) प्रो. राजाराम चोयल, आचार्य-पर्यावरण विज्ञान (4) प्रो. नारायण सिंह राव, विभागाध्यक्ष- इतिहास (5) डॉ. दिग्विजय सिंह, सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा, बीकानेर	
397	पुनर्मूल्यांकन शुल्क के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	शैक्षणिक/ परीक्षा
निर्णय	कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।	
398	नवीन शोध अध्यादेश (आर्डिनेंस) एवं शोध विनियम के अनुमोदन का प्रस्ताव।	शोध
निर्णय	अनुमोदन किया गया।	

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति


कुलसचिव